



देवेन्द्र कुमार

नई शिक्षा नीति 2020 में आईसीटी का प्रभाव

असि0 प्रोफेसर-आई टी ई कॉलेज, मोदीनगर, गाज़ियाबाद (उ0प्र0) भारत

Received-20.12.2024,

Revised-26.12.2024,

Accepted-29.12.2022

E-mail : devendrakumarnimesh@gmail.com

सारांश: भारत में नई शिक्षा नीति कि शुमारम 1968 के नई शिक्षा नीति से मानी जाती है। इसमें समय-समय पर संशोधित होता आ रहा है, 1986, 1992 में नई शिक्षा नीति पर संशोधित किया गया। जिसमें शिक्षा संबंधित नियमों को 21वीं सदी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसी समय मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के नाम को बदल कर अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश है कि 2030 तक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम 5 + 3 + 3 + 4 को वर्तमान शैक्षिक प्रणाली 10 + 2 के साथ प्रतिस्थापित करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में केंद्र तथा राज्य सरकार दोन का निवेश होगा।

कुंजीभूत शब्द— प्रतिस्थापित, संग्रहित, प्रोत्साहित, निहित, तकनीकी, ज्ञानवर्धक, इनफ्रास्ट्रक्चर,

आधुनिक तकनीकियाँ एवं शिक्षा का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव— नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्रों के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा जो छात्र हीत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स 3 से 4 साल तक पढ़ा जा सकता है इसके साथ-साथ यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ-साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत ई लर्निंग पर जोर दिया जा रहा ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सकें। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए हैं।

- नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल
- हायर एजुकेशनल काउंसिल
- जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा
- नेशनल एक्कीडिटेशन काउंसिल

नई शिक्षा नीति 2020 का प्ररूप का श्रेय इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन को दिया जाता है। इस शिक्षा नीति को बेहतर बनाने के लिए नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम(NTP), रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्राम(RIAP), शिक्षा का अधिकार(RTE) से नई शिक्षा नीति 2020 के विकास के लिए सुझाव लिया गया है। सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाइन और पारम्परिक कक्षा-शिक्षण में समान रूप से

सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित सकांयों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में 'ओडीएल कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले' इन-क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखा है। ओडीएल के प्रणालीगत विकास, विनियमन और मान्यता के लिए मानदंड, मानक, और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, और ओडीएल की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया है, जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशासित किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषयों में शिक्षण विधि, इन-क्लास, ऑनलाइन, आडे ीएल और को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमा का लक्ष्य हागा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक एवं वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रसास किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4-वर्षीय एकीकृत बी0एड0 कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिएन्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। जिसमें 3 + 1 का प्ररूप लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग और एकीकरण सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग अंतरिक्ष तथा वैश्विक स्तर एवं अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों पर नेतृत्व कर रहा है। आज भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पूरे देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने में मदद कर रहा है। इससे हमारे शैक्षिक शिक्षण में गुणवत्ता प्रदान होगा इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश का शिक्षा उसके धर पर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना एवं संचार तकनीकी को इसतेमाल करने वाले शिक्षक एवं उद्यमियों के वास्तविक उपयोग से तकनीकी का रचनात्मकता के साथ विकास दर तीव्र हो रहा है। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के प्रयोग से देश में नई क्रांति का आगाज हो गया है। आज देश में नई तकनीक का क्षेत्र बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग, और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्र क्या सीखेगा या वे कैसे सीखेगा दोनों का भविष्य तकनीकी पर निर्भर करेगा इसका शोध का क्षेत्र बढ़ेगा क्योंकि इसमें तकनीकी एवं शैक्षिक दोनों का दृष्टिकोण होगा।

शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत कर एवं वृहद स्तर पर लागू करने से विद्यार्थियों का शिक्षण स्तर को बढ़ाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु तकनीकी के उपयोगे कराने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक



एन0ई0ओ0एफ0 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने एवं किसी क्षेत्र विशेष में उसका उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाने से है। एन0ई0ओ0एफ0 के कार्य:

- प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपबध कराना।
- शैक्षिक तकनीक में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण।
- इस शैक्षणिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना।
- अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं में स्पष्ट करना।

एन0ई0ओ0एफ0(NIOF) से शैक्षिक तकनीकी में तीव्रतासे परिवर्तित हो रहा है, इससे शैक्षिक तकनीकी के आविष्कार से प्रमाणिक डेटा का प्रवाह बढ़ेगा एवं शाधे 'कर्ताओं' के लिए डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगा। एन0ई0ओ0एफ0(NIOF) के कारण ज्ञान एवं उनके प्रयोग से सृजन का बढ़ावा मिल रहा है। एन0ई0ओ0एफ0(NIOF) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी का उपयोग से लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है।

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक का मुख्य उद्देश्य

- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक का मुख्य उद्देश्य शिक्षण – अधिगम को सरल एवं उपयोगी बनाना।
- छात्र अकलन प्रक्रियाओं को बेहतर एवं सरल बनाना।
- शिक्षकों एवं छात्रों को एक स्तर तक तैयार करना एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना।
- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के माध्यम से शैक्षिक एवं शैक्षिक नियोजन को बढ़ाना।
- इसके माध्यम से प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना आसान हो जाए। इसमें मुख्य रूप से प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएँ हैं। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक की उपलब्धता प्रौद्योगिकी का सही व्यवस्था के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसका उद्देश्य है सभी सॉफ्टवेयर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे छात्र तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी सभी प्रकार के उपयोग कर्ताओं के लिए यह उपलब्ध होगा।
- सभी राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई-कंटेंट तैयार कर दीक्षा प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा।
- ई-कंटेंट को सभी राज्य एवं एनसीईआरटी(NCERT), सीआईईटी(CIET), सीबीएसई(CBSE), एनआईओएस(NIOS) एवं अन्य निकायों / संस्थानों में भी लागू किया जाएगा।
- दीक्षा प्लेटफार्म पर उपलब्ध ई-कंटेंट का उपयोग शिक्षकों के विकास के लिए किया जा सकता है।
- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक संबंधी उपायों के संवर्धन एवं प्रसार हेतु सीआईईटी(CIET) को मजबूत बनाया जाएगा।
- शिक्षकों के सुबिधा के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे शिक्षक अपने शिक्षण-अधिगम अभ्यासों में 'ई-सामग्री' को उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सके।
- छात्र एवं शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की व्यावस्था किया जा रहा है:-दीक्षा/ स्वयं, जैसे कई ई-प्लेटे फॉर्म व्यावस्था किया जा रहा है।
- इसमें उपयोगकर्ताओं का रेटिंग / समीक्षा आदि शामिल होंगी, ताकि कंटेंट विकासकर्ता प्रयाक्ता अनुकूल और गुणवत्ता पूर्ण कंटेंट बना सके।
- आज और 1986/1992 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तुलना जब हम इंटरनेट से करते हैं तो काफी अन्तर मिलता है आज मानो इंटरनेट में क्रांति आ गई है जिससे प्रौद्योगिकी में एक विशेष विकास हो रहा है।
- नई शिक्षा नीति को ऐसे समय में तैयार किया गया है जब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस(Artificial Intelligence) 3डी/7डी वर्चुअल रिएल्टी जैसी निश्चित प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है।
- आर्टिफिशल इंटेलिजेंस(Artificial Intelligence) के होने से सूचनाओं के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय औपचारिक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी को चिन्हित करेगा जिसके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवश्यक होगी।
- आर्टिफिशल इंटेलिजेंस(Artificial Intelligence) के संदर्भ में, एनआरएफ(NRF) त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपना सकता है।
 - कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना।
 - एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग करना।
 - स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करना
- जिस क्षेत्र में शिक्षा के आभाव के कारण गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती थी उसके वैकल्पिक के रूप में नई शिक्षा नीति, 2020 प्रौद्योगिकी की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है।



- नई शिक्ष नीति 2020 में ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा के हानियों को कम करते हुए इसे तैयार किया गया है जिससे अध्ययन करना आसान होगा।
- ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता।
- ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाएगा।
- ऑनलाइन को प्रभावशाली शिक्षा बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कि जाएगा।
- ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा में यह माना नहीं जा सकता है कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के दृष्टिकोण में कई चुनौतियाँ हैं। जब बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियों का भी समना करना पड़ता है।
 - ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं।
 - नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना।
 - प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यावहारिक ऑनलाइन/ डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाओं का होना।
 - जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता तब तक यह सीखने में सामाजिक, भावानत्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन-आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगा।
- डिजिटल तकनीकी के उद्भव - स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक
 - ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन।
 - डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर।
 - ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण।
 - सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार।
 - डिजिटल अंतर को कम करना।
 - वर्चुअल लैब्स।
 - शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन।
 - ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं।
 - सीखने के मिश्रित मॉडल।
 - मानकों को पूरा करना।

निष्कर्ष—विश्व स्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए एक समर्पित इकाई का सृजन—स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी। अतः इस केन्द्र में प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, डिजिटल शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस, आदि के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलहोजैलन, एम0आई0 (2012)। विषयगत विश्लेषण: ए इसकी प्रक्रिया और मूल्यांकन की आलोचनात्मक समीक्षा। वेस्ट ईस्ट जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 1(1), 8-21.
2. भारत सरकार के (1968)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968.
1. <https://web.archive.org/web/20090731002808/www.education.nic.in/policy-1968>.
3. इन्नु (1986)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (संख्या 50 के 1985)।
4. एंडरसन, जे0 (2010)। आई0सी0टी0 ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन: ए रीजनल गाइड। यूनेस्को।
5. भल्ला, जे. (2013)। शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया में स्कूली शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर का उपयोग।
6. जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टडीज, 1 (2), 174-185।
